न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu225RTA158 Laxminarayan Vs Narendrasingh etc

लक्ष्मीनारायण गहलोत पुत्र स्व. रूपाराम गहलोत (माली)
निवासी खोखरिया बेरा की पाल, मण्डोर,
जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. नरेन्द्रसिंह कच्छवाह पुत्र नारायणसिंह माली, निवासी महामन्दिर तीसरी पोल के बाहर बडले के पास, हनुमानजी के मन्दिर के पास, जोधपुर
2. सेवाराम परिहार पुत्र केदारराम माली, निवासी कुन्दन नगर, चैनपुरा मण्डोर, जोधपुर
3. हेमसिंह गहलोत पुत्र ढलसिंह गहलोत (माली), निवासी खोखरिया बेरा, मण्डोर, जोधपुर

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 12 अगस्त 2018 राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 28/2018 लक्ष्मीनारायण बनाम नरेन्द्रसिंह इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री यू.एस.गहलोत, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री एस.एल. सांखला, अधिवक्ता रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 20 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 28/2018 लक्ष्मी नारायण बनाम नरेन्द्रसिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 12 सितम्बर 2018

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत दिनांक 17 सितम्बर 2018 को प्रस्तुत की है।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद मय प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 प्रस्तुत कर आराजी खसरा संख्या 693 रकबा 5 बीघा वाके मौजा मण्डोर के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया, उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संस्थित प्रकरण संख्या 165/2013 लक्ष्मीनारायण बनाम जगदीश में अप्रार्थीगण-रेस्पो. की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश कर विरोध किया गया, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 28 अप्रेल 2014 उक्त प्रार्थनापत्र आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 693 रकबा 5 बीघा वाके मौजा मण्डोर में प्रार्थी-अपीलाण्ट के हिस्से की सीमा तक की भूमि बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए बकाया भूमि बाबत अन्य सहखातेदारान को उनके हिस्से की भूमि विकय करने हेतु हकदार माना। उक्त आदेश दिनांक 28 अप्रेल 2014 के खिलाफ प्रार्थी-अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपील संख्या 041/2014 लक्ष्मीनारायण बनाम जगदीशसिंह अदालत हाजा द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2015 को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया कि -- " .... अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 अप्रेल 2014 संशोधित करते हुए उभयपक्षकारान को आराजी खसरा संख्या 693 रकबा 5 बीघा वाके मौजा मण्डोर द्वितीय तहसील व जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का मूल वाद के निस्तारण तक किसी भी प्रकार से विक्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।"

इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय में वाद की कार्यवाही चलने के दौरान दिनांक 05 जून 2018 को प्रार्थी-अपीलाण्ट एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी सपठित धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश प्रभाव में होते हुए तथा उसकी जानकारी अप्रार्थीगण को होते हुए भी सन् 2017 में वादग्रस्त आराजी की खरीद-फरोख्त की गयी है, जिसकी जानकारी प्रार्थी-अपीलाण्ट को माह अप्रेल् 2018 में उस समय हुई, जब सेवाराम पुत्र केदारराम परिहार (माली) निवासी कुन्दन विहार, चैनपुरा मण्डोर जोधपुर द्वारा स्वयं को प्लाट संख्या 17 व 18 का जरिये अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा केता बताते हुए जबरन निर्माण कार्य करवाया जाने लगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस संबंध में दिनांक 05 अप्रेल 2018 को धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 12 अप्रेल 2018 को पुलिस थानाधिकारी मण्डोर के नाम आदेश जारी किया कि प्रकरण संख्या 165/2013 लक्ष्मीनारायण गहलोत बनाम जगदीशसिंह गहलोत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित आदेश दिनांक 28 अप्रेल 2014 तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा अपील प्रकरण संख्या 41/2014 में पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2015 की नियमानुसार पालना सुनिश्चित की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। मगर कोई प्रभावी कार्यवाही आदिनांक तक नहीं हुई। इसके बाद दिनांक 27 अप्रेल 2018 को एक और प्रार्थनापत्र प्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया, जो अभी विचाराधीन है। दूसरी ओर पुलिस थानाधिकारी का कहना है कि न्यायालय का आदेश यथास्थिति बनाये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रखने एवं निर्माण कार्य रोकने बाबत नहीं होने से पुलिस इस मामले में कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी-अपीलाण्ट्स की ओर से मामले में यथास्थिति बनाये रखने एवं निर्माण कार्य नहीं किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रकरण संख्या 28/2018 लक्ष्मीनारायण गहलोत बनाम नरेन्द्रसिंह कच्छवाहा आदि संस्थित किया गया और अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 11 जून 2018 को जारी करते हुए अप्रार्थी को तलब किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 सितम्बर 2018 को आंशिक स्वीकार करते हुए सभी पक्षकारान को अपने-अपने हिस्से पर काश्त करने हेतु स्वतन्त्र रखते हुए मूल वाद के निस्तारण तक उन्हें राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। जिसके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के भू-भाग विशेष पर बिना किसी सक्षम अनुमति के पक्का निर्माण कराया जा रहा है जिससे संयुक्त खातेदारी के कृषि भूमि की प्रकृति स्थायी तौर पर परिवर्तित हो जायेगी और मौजूदा स्वरूप खुद-बुर्द हो जायेगा। अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी का वही भौतिक स्वरूप कायम रखा जाना नितान्त आवश्यक है जो वाद प्रस्तुत किये जाने के दिन मौके पर था। अंत में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने 2010(4) आरएलडब्ल्यु 3065 (राज), 2014(1) आरएलडब्ल्यु 553 (एससी), एआईआर 1992 इलाहाबाद 326, एआईआर 1983 पटना 278, एआईआर 1991

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मद्रास323, 1994 आरआरडी 499, एआईआर 2007 राज. 73, एआईआर 2018 एससी 957 एवं 1984 आरबीजे 24 उद्धरित कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वह वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार नहीं है, अतः अपीलाधीन आदेश से वह पाबन्द नहीं है। जिन आदेशों का संदर्भ अपीलाण्ट ने प्रस्तुत किया है, उनमें भी रेस्पो. पक्षकार नहीं है, इस कारण भी उन आदेशों से रेस्पो. बाध्य नहीं है। वर्तमान में जो अनुतोष चाहा गया है, वह पूर्व में दिया जा चुका है, अतः पुनः उसी अनुतोष की मांग नहीं की जा सकती है। अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

प्रत्युत्तर में अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजी बाबत मौके और राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का अनुतोष चाहा है। यदि रेस्पो. वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है तो उन्हें उसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य अथवा अन्य कोई कारगुजारी करने का हक नहीं बनता है और यदि अन्य के अभिकर्ता के तौर पर वह कोई कार्य कर रहे है तो विधिक तौर पर ऐसा करने हेतु वह सक्षम नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। आलौच्य मामलें में पूर्व में अदालत हाजा द्वारा अपील प्रकरण संख्या 41/2014 लक्ष्मीनारायण बनाम जगदीशसिंह में आदेश पारित किया गया था कि

> **फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 अप्रेल 2014 संशोधित करते हुए उभयपक्षकारान को आराजी खसरा संख्या 693 रकबा 5 बीघा वाके मौजा मण्डोर द्वितीय तहसील व जिला जोधपुर का मूल वाद के निस्तारण तक किसी भी प्रकार से**

विक्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

अदालत हाजा के उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही कर आदिनांक तक अपास्त कराया जाना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। न ही बहस के दौरान इस बाबत कोई किया गया है। इसके अलावा वर्तमान मामले में अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, उसमें खसरा संख्या 693 रकबा 5 बीघा मौजा मण्डोर द्वितीय पटवार क्षेत्र की भूमि के किसी भी हिस्से पर अप्रार्थीगण व सेवाराम परिहार, स्वयं व एजेण्ट तथा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा मौके की यथास्थिति वाद व अवमानना प्रकरण के निर्णय होने तक बनाये रखने तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पावन्द किये जाने और इस निमित्त तहसीलदार जोधपुर व संबंधित पुलिस थानाधिकारी के नाम आदेश जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पूर्व में दिये गये अनुतोष, वर्तमान में चाहे गये अनुतोष एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को कसौटी पर परखने के बाद यह पाया जाता है कि यदि वादग्रस्त भूमि पर किये जा रहे किसी भी प्रकार के पुख्ता निर्माण को नहीं रोका जाता है तो वादग्रस्त भूमि की मूल प्रकृति स्थायी तौर पर परिवर्तित हो जायेगी और उसका वर्तमान स्वरूप परिवर्तित हो जायेगा। साथ ही मूल वाद के निस्तारण हेतु न्याय के मूल बिन्दु तक पहुॅचने में न्यायालय के समक्ष कई पेचिदगियॉ उत्पन्न होने के साथ ही साथ पक्षकारान के मध्य भी कई नये वादकरण पैदा होने की प्रबल सम्भावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रथम दष्टया प्रकरण एंव सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में नजर आते है। इसके विपरीत रेस्पो. के अनुसार वे वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें किसी प्रकार का कोई खातेदार को हासिल कोई हक वादग्रस्त भूमि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं है। वे वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का दखल करने के अधिकारी नहीं है जब तक कि वे रिकार्डेड खातेदार के रूप में प्रविष्ट नहीं हो जाते।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, पूर्व में पारित आदेशों तथा अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं नजीरों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट् स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 सितम्बर 2018 संशोधित कर जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 693 रकबा 5 बीघा मौजा मण्डोर द्वितीय पटवार क्षेत्र की भूमि बाबत अधीनस्थ न्यायालय में वाद के निस्तारण तक मौक़े की यथास्थिति बनाये रखी जावे एवं इसके किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का कोई अकृषि कार्य अथवा पुख्ता निर्माण कार्य किसी भी खातेदार स्वयं द्वारा नहीं किया जावे और न ही अपने किसी एजेण्ट के माध्यम से कराया जावे। रेस्पो. संख्या एक से तीन को भी पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में कोई दखल नहीं दे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 20/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर